

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-3094 / 2025

सुनील कुमार

—अपीलार्थी

## बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी  
विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2025

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :-विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पम्प चालक-॥ के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल योजना बगड़ में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 03.06.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का कार्यव्यवस्थार्थ स्थानान्तरण आगामी आदेशों तक बगड़ से जल योजना बिसाउ में किया गया है। उक्त स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने स्थानान्तरण पर आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। उक्त आदेश के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध की अवधि में किए गए स्थानान्तरण आदेश को डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में अनुचित एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में जारी किया गया हुआ माना है। वर्तमान प्रकरण भी समान तथ्यों पर

आधारित है। अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक को स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)  
अध्यक्ष